UPPG010070132025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट) प्रतापगढ़।
फौजदारी निगरानी संख्या–207/2025
शोभा यादव बनाम राज्य उ.प्र. आदि

दिनांकः–06.08.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। आज पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत है। निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र 8ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की जाए।
2. सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।
3. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि जहां तक निगरानी में मूल पत्रावली का तलब किये जाने का प्रश्न है तो आवेदक मूल पत्रावली में जिन प्रार्थना पत्रों पर बल देना चाहता है, वह उन प्रार्थना पत्रों को या अभिलेखो को शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकता है। इस सम्बन्ध में 2013 (97)ए0एल0आर0 389} अनिल कुमार जैन बनाम श्रीमती कमला देवी में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि पुनरीक्षण का निर्णय पारित करते समय विचारण न्यायालय के रिकार्ड को तलब किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे कार्यवाही में देरी होती है। अपील या पुनरीक्षण में ऐसे सभी दस्तावेज आवेदक प्रस्तुत कर सकता है, जो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। जिस पर वह शपथपत्र के माध्यम से भरोसा करना चाहता है, उन प्रपत्रों को प्रस्तुत कर सकता है। विपक्षी भी शपथ पत्र के साथ विचारण न्यायालय के प्रपत्रों को प्रस्तुत कर सकता है।
4. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधि सिद्धान्तों से स्पष्ट होता है कि आवेदक जिन प्रपत्रों या अभिलेखों पर भरोसा करना चाहता है, उन्हें वह शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकता है। इस स्तर पर आवेदक का प्रार्थना पत्र 8ख निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

5. प्रार्थना पत्र 8ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.08.2026 को पेश हो।

(राम लाल–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट),
प्रतापगढ़।
J.O. CODE–UP6467

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.08.06 16:26:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court